रेफरेन्स / एल.आर. / 5185 / 2006 / जयपुर
सरकार बनाम गुल्ला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.11.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री ओ.पी.भट्ट, उप राजकीय अभि0 प्रार्थी अप्रार्थी अनुपस्थित **निर्णय** यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर के रेफरेन्स प्रकरण सं.39 / 2006 में अनुशंषित कार्यवाही दि08–6–2006 के संदर्भ में पेश किया गया है। अप्रार्थी अनुपस्थित। अतः उप राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम जयचन्दपुरा तहसील जमवारामगढ की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2018 से 2027 में आराजी खसरा नंबर 827 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 845 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 847 रकबा 11 बिस्वा, 849 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, 850 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 886 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी वाके जयपुर पुजारी छोटूदास वल्द गोदूदास स्वामी सा. जयपुर गंगापोल दरवाजा के नाम दर्ज थी। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 850 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 846मि. रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व 847मि. रकबा 3 बिस्वा से खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा बना और भूमि एकीकरण के दौरान खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 में खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा ही दर्ज रही। कालान्तर में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए खातेदारी गुल्ला पि.मु. हुक्मा व झूंथा पुत्र बक्सा के नाम दर्ज कर दी गई। झूंथा पुत्र बक्सा के फोत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 102 से भूमि गुल्ला पुत्र झूंथा के नाम दर्ज होकर जमाबंदी संवत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2055–58 में खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। माफी मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिए माफी मंदिर द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जावे तथा उक्त आराजी पुनः माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2018 से 2027 में आराजी खसरा नंबर 827 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 845 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 846 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 847 रकबा 11 बिस्वा, 849 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, 850 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 886 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी वाके जयपुर के नाम दर्ज थी। भूमि एकीकरण के दौरान उक्त खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 850 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 846मि. रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा व 847मि. रकबा 3 बिस्वा से खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा बना और भूमि एकीकरण के दौरान खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 में खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा ही दर्ज रही। कालान्तर में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए खातेदारी गुल्ला पि.मु. हुक्मा व झूंथा पुत्र बक्सा के नाम दर्ज कर दी गई। झूंथा पुत्र बक्सा के फोत होने पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 102 भूमि गुल्ला पुत्र झूंथा के नाम दर्ज होकर जमाबंदी संवत् 2055–58 में हाल आराजी खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। कालान्तर में इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि को बिना किसी आधार के अप्रार्थी के नाम अंकित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर की भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी तथा काश्त करने के आधार पर कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री ठाकुरजी वाके जयपुर के नाम अंकित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त हाल आराजी खसरा नंबर 265 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत अप्रार्थी के पक्ष में किये गये समस्त इन्द्राजात निरस्त किये जाकर उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में पुनः माफी मंदिर श्री ठाकुरजी वाके जयपुर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	